



International Journal of Research in Academic World



Received: 12/June/2023

IJRAW: 2023; 2(7):220-222

Accepted: 23/July/2023

कृषि प्रधान देश में किसानों की चुनौतियां

*डॉ. दिग्विजय नरायन

*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, इन्दिरा गाँधी राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय बांगरमऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

भारत मूलतः गाँवों का देश है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है, कृषि हमारे आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक उन्नति का माध्यम है। भारतीय लोग कृषि को एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मानते हैं। राष्ट्रीय उन्नति के लिए किसानों, मजदूरों का विकास आवश्यक है। रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम होने के बावजूद भी कृषि अनेक गंभीर विसंगतियों की शिकार हैं। प्राकृतिक कारणों से लेकर नीति नियंताओं की गलत सोच, भ्रष्ट शासन तंत्र का सबसे गंभीर भोक्ता भारतीय कृषक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है फिर भी यहां कृषि उपकरणों की कमी है और जो हैं भी वह बहुत मंहगे हैं।

मूल शब्द: भारतीय गाँव, ग्रामीण जीवन, राष्ट्रीय उन्नति, किसान, मजदूर, साहूकार, बैल, खेत-खलिहान, गाय

प्रस्तावना

भारतीय गाँव और कृषि का अटूट रिश्ता हैं। आज भी भारतीय जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और यह स्थिति सैकड़ों वर्षों से भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद से तो जरूर ही, चली आ रही है। अतः भारत में न केवल ग्रामीण जीवन कृषि से अभिन्न रूप से संबद्ध हो गया है। वरन एक कृषि संस्कृति का निर्माण भी हो गया है जिसके अपने मूल्य, विश्वास, आस्थाएं तथा जीवन पद्धति हैं। अदम गोंडवी की ये पंक्तियां सभ्यता के विकास में कृषि और 'ग्राम देवता' किसान के महत्व को इस प्रकार दर्शाती है

"न महलों की बुलंदी से ना लफजों के नगीनों से।
तमदुन में भी निखार आता है घीसू के पसीने से।।" [1]

प्रेमचन्द इस बात को लेकर बिल्कुल ही साफ थे कि राष्ट्रीय उन्नति के लिए किसानों-मजदूरों का विकास बहुत आवश्यक है। अपनी इसी विचारधारा के तहत वे किसानों के पक्ष में खड़े होते हैं। उनके लिए यह बड़े दुख का विषय था कि मुट्टी भर लोग देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी को चूस रहे हैं। दिन रात परिश्रम करने वाले भूखों मरते हैं और आराम से 'खटिया' तोड़ने वाले मौज करते हैं। उन्होंने अक्टूबर 1932 में अपने एक लेख में लिखा कि— "कौन नहीं जानता कि भारत में किसान बुरी तरह कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। उनका प्रायः सभी काम कर्ज से ही चलता है। बीज वह सूद पर लेते हैं या पटानों से। बैल भी वह प्रायः फेरी करने वाले व्यापारियों से उधार ही लिया करते हैं। शादी-गमी, तीर्थ व्रत में तो अपनी सम्मान-रक्षा के लिए उन्हें कर्ज लेना ही पड़ता है। कितने जमींदार और साहूकार किसानों या

किसान-मजूरों को सौ-पचास रुपया उधार देकर उनसे यावज्जीवन मजदूरी कराते रहते हैं।" [2]

रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम होने के बावजूद भारतीय कृषि अनेक गंभीर विसंगतियों की शिकार है। प्राकृतिक कारणों से लेकर नीति-नियंताओं की अदूरदर्शी प्रवृत्ति, भ्रष्ट शासन तंत्र के कृत्यों का सबसे गंभीर भोक्ता भारतीय कृषक ही हैं।

भारत की पारंपरिक कृषि पर्यावरण हितैषी थी। गाय जो कि वर्तमान में एक राजनीतिक पशु बनने के साथ ही किसानों पर बोझ बन गई है, वह कभी किसानों के जीवन का आधार थी। जब कृषि गाय पर आधारित थी, तब किसानों की लागत कम थी, उत्पादन भी इतना था कि वह जीवन-यापन कर लें, तब कृषि उत्पाद भी अधिक गुणवत्तापूर्ण थे। परंतु कृषि में तकनीकी के प्रवेश ने किसानों के खर्च को बढ़ा दिया, साथ ही भूमि और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता भी कम हो गई। प्रदूषण बढ़ा वो अलग और कृषि उपोत्पाद जैसे गाय का गोबर आदि बोझ बन गए।

आधुनिक तकनीकी ने उस कृषि अपशिष्ट को खेत में ही जलाने को मजबूर कर दिया, जो कि पशुओं का आहार था। इसी के साथ तकनीक ने किसानों की आय का एक और साधन कम कर दिया। गोबर की खाद के स्थान पर रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग ने भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया। हरित क्रांति ने फसल विशेष के उत्पादन में वृद्धि तो की लेकिन समस्याओं को भी पैदा किया।

भारतीय कृषि की समस्याओं में सबसे निर्णायक बिंदु मानसून पर निर्भरता है। भारत में वर्षा की स्थिति न केवल अनियमित है, बल्कि अनिश्चित भी है। वर्षा लगातार नहीं होती है, और कभी-कभी वर्षा की अधिकता भी फसलों को व्यापक रूप में नुकसान पहुंचा देती है। वर्षा की अधिकता से आंधी, बाढ़, तूफान जैसी आपदाएं जन्म लेती हैं, जिनसे भारतीय किसानों को क्षति उठानी पड़ती है। बड़ी

गंभीर विडंबना है कि इन समस्याओं का न तो हम हल ढूंढ पाए हैं और न ही इन आपदाओं से बचने का समुचित तंत्र विकसित कर पाए हैं। परिणामतः कृषक तमाम उधम के बावजूद निर्धनता का संजाल नहीं तोड़ पाते हैं।

भारत में कृषि का सीधा सम्बंध प्रकृति से है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि से लेकर तूफान, कीट-पतंगों का प्रकोप, रोगों का दुष्प्रभाव तक सभी समस्याएं कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। इन समस्याओं से भारतीय कृषि आज तक उबर नहीं पाई है और न ही किसी स्तर पर इनका संतोषजनक हल ढूंढा जा सका है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिंचाई के वैकल्पिक साधन नहीं हैं, लेकिन इनका वितरण बहुत असमान और अविकसित है, साथ ही सीमांत और छोटी जोतों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद से आज तक भारत में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग पाँच गुना बढ़ा है, फिर भी कृषि क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत से अधिक भाग मानसून की मेहरबानी पर ही निर्भर करता है। भारतीय कृषि की दूसरी बड़ी समस्या भूमि की उर्वरा शक्ति में आती क्षीणता है। सदियों से एक ही भूमि पर कृषि करते रहने से उर्वरा शक्ति का क्षीण होना स्वभाविक है। भारत में प्राचीन काल से ही जीवन-निर्वाह की मुख्य नियोजिता कृषि ही है, जिससे मिट्टियों की उर्वरा क्षमता पर प्रभाव पड़ना लाजमी है। साथ ही रासायनिक खादों के अंधाधुंध और अनियोजित प्रयोग से भूमि की उत्पादकता लगातार कम हो रही है। उर्वरा शक्ति के क्षरण को रोक पाने में भी हम नाकाम रहे हैं।

जोतों का लगातार छोटा होना भी कृषि की प्रमुख समस्या है। वर्तमान समय में देश में कृषि भूमि की उपलब्धता प्रति व्यक्ति मात्र 0.14 हेक्टेयर है। कृषि पर बढ़ते जनसंख्या दबाव ने भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जोतों का आकार प्रत्येक पीढ़ी के साथ छोटा हो रहा है, जिसके कारण संसाधनों पर अतिरिक्त व्यय होता है। जब जोत छोटी होती है, तो किसान केवल खाद्यान्न उत्पादित करने पर जोर देता है और नगदी फसलें उगाने का विकल्प नहीं होता। कृषि से संबंधित एक सर्वे में यह बात सामने आयी है कि 75 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कुल भूमि का मात्र 16.3 प्रतिशत ही है जबकि शेष 25 प्रतिशत परिवारों के अधीन 83.7 प्रतिशत भूमि है। इस असमानता से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बड़े और छोटे किसानों के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। आमतौर पर देखा गया है कि बड़े खेतों के मालिक शहरों में रहते हैं। इस स्थिति में उनकी भूमि या तो खाली पड़ी रहती है या फिर उन पर बटाईदारों द्वारा कृषि की जाती है। खेती में घटते रुझान के कारण बड़े भू-स्वामी उन्हें बटाई पर देकर खेती से पीछा छुड़ा लेते हैं।

कृषि भारत की अधिकांश जनता की आजीविका का साधन है। इसका उदाहरण हमें कोरोना काल में दिखाई दिया। कोरोना के कारण एक बार फिर व्यक्ति शहर छोड़कर गाँव की तरफ भागा है और गाँव में जीविका का मुख्य साधन कृषि था। जिसके वजह से सभी व्यक्तियों को भरपेट भोजन मिल सका। इस आपदा के दौरान सरकार के सारे विभाग घाटे में थे केवल कृषि को छोड़कर पिछले साल कुछ दिनों से कर्ज माफी द्वारा किसानों को कर्ज की समस्या से फौरी तौर पर राहत प्रदान करने की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। कर्ज माफी को राजनीतिक दलों द्वारा एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन कर्ज माफी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है। सरकार के द्वारा कुछ ऐसे न कदम उठाए जाने चाहिए कि जिससे किसान कर्ज लेने को मजबूर न हो। कृषि का कोई न कोई रूप ईजाद करना होगा, जिससे कर्ज की जरूरत ही ना पड़ती हो। प्रेमचंद ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'गोदान' में कर्ज का दर्द क्या होता है, होरी के माध्यम से प्रस्तुत किया है—“वैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते-लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा पाँच-पाँच पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद। दोनों जून ना मिले, एक जून तो मिलना ही चाहिए। भरपेट न मिले, आधा न पेट तो मिले। निराहार कोई कै दिन रह

सकता है। उधार (कर्ज) ले तो किससे, गाँव के सभी छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता है।” [3]

संगठन के अभाव में ही किसान अपने हक की लड़ाई सही ढंग से नहीं लड़ पाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में तथाकथित 'विकास' के नाम पर सरकारें औने-पौने मुआवजों की दरों पर जबरन किसानों की भूमि अधिग्रहित कर रही है। ये जगीने शक्तिशाली और प्रभुतासंपन्न वर्गों को मामूली दाम पर मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, बहुमंजिली इमारतें, पीवीआर आदि खोलने के लिए दे दी जाती हैं। संगठन और शिक्षा के अभाव में कृषक अपनी अच्छी किस्म की कृषि योग्य भूमि को बचा नहीं पाता और इस विकास में उसका लाभ भी नाममात्र का ही होता है।

हमारे देश में उत्तम बीजों की उपलब्धता और वितरण दोनों ही असंतोषजनक हैं, जबकि उत्तम बीज ही उत्पादकता में वृद्धि का मूल आधार होते हैं। कृषि से संबंधित संस्थानों की प्राथमिकता में यह होना चाहिए कि उत्तम बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, साथ ही उचित मूल्य पर उनके वितरण की व्यवस्था भी किया जाए। हमारे देश में उर्वरकों की कमी है और ये महंगे भी हैं। इसके साथ ही विडंबना यह है कि इन्हें बनाने और प्रयोग करने की प्रणालियाँ भी दोषपूर्ण हैं, जिससे खाद का पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उत्पादन की तकनीकों के स्तर पर भी भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। मिट्टी के गुणों के अनुरूप फसलें उगाने का हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। सिंचाई-बुवाई आदि क्षेत्रों में भी हम प्रगति में काफी पीछे हैं। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत में कृषि यंत्रों और उपकरणों की कमी है। साथ ही ये यंत्र महंगे भी हैं जबकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में ऐसा होना नहीं चाहिए। छोटे और मझोले किसानों तक उन्नत कृषि उपकरणों की पहुंच न के बराबर है। फलतः वे परंपरागत साधनों और उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार प्रभावित होती है। विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर स्थिति बड़ी चिंताजनक प्रतीत होती है। देश के कृषि जगत से जुड़ी एक विडंबना यह भी है कि यहां कृषि सुधार की योजनाएं तो व्यापक रूप से बनाई जाती हैं, लेकिन सही तरीके से वह लागू नहीं हो पाती हैं। किसानों को उनके उत्पाद के वाजिब दाम नहीं मिलते। बिचौलियों के कारण कृषि कीमतों का सही भाग किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंध होने के कारण कृषि कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं, जिससे कृषि आय अनिश्चित रहती है। कृषि के उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए मृदा और जल संरक्षण पर युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है।

पिछले कुछ दशकों में यातायात और संचार साधनों के विकास के बावजूद कृषि उत्पादों के परिवहन की दृष्टि से ये पर्याप्त नहीं है। पिछड़े राज्यों के ज्यादातर गाँव अभी भी कच्चे मार्गों से ही जुड़े हुए हैं, जो बरसात के दिनों में बुरी तरह खराब हो जाते हैं। इस स्थिति में किसान शहर या मंडी तक नहीं पहुंच पाते और उत्पाद विशेषकर शाक-सब्जी और फल नष्ट हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कृषि पर ही पड़ रहा है। फसलों की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित हो रही है, खासतौर पर तटीय इलाके व मरुस्थल इसके दुष्प्रभाव के शिकार हो रहे हैं। गाँवों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं और जो हैं भी वे गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं। निजी चिकित्सा संस्थानों में इलाज हर कृषक के वश की बात नहीं है। अस्वस्थ और कमजोर किसान कृषि विकास के मोर्चे पर कितना सफल हुआ, यह समय समय पर प्रदर्शित होता रहता है। गाँवों में विकास के दावों को झुटलाती अदम गोंडवी की ये पंक्तियाँ भी कुछ यही बात कर रही हैं।—

तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है।

मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है। [4]

उन्नत कृषि और समृद्ध कृषक के लिए अनिवार्य है कि समूची आधारभूत संरचना को नए सिरे से निर्मित एवं संचालित किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और वित्तपोषण संस्थानों की कार्य

योजना ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित हो। भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय किसानों की आय दुगुनी हो जाए, पर होगा कैसे ये बहस का विषय है। फिलहाल सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। भारतीय किसान को उनकी समस्याओं और चुनौतियों से मुक्त करके ही 'जय जवान, जय किसान' के नारे को पूर्ण रूप से सार्थक बना सकते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत कृषि प्रधान देश जरूर है लेकिन वर्तमान समय में भी भारतीय कृषक अनेकानेक समस्याओं का सामना कर रहा है। देश में कृषक के साथ विडम्बना यह है कि यहां कृषि सुधार की योजनाएं तो खूब बनाई जाती हैं लेकिन उसे समुचित तरीके से लागू नहीं किया जाता है, यही कारण है कि देश के किसान हैरान और परेशान रहते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. निबन्ध संग्रह, 2020, पृष्ठ संख्या-112
2. श्रीवास्तव जितेंद्र, भारतीय समाज की समस्याएँ और प्रेमचंद्र, शब्द सृष्टि दिल्ली-11 0053, पृष्ठ संख्या-76
3. प्रेमचंद्र, गोदान, पृष्ठ संख्या-216
4. निबन्ध संग्रह, 2020, पृष्ठ संख्या-114